

**राजस्थान पत्रकार परिषद जयपुर, राजस्थान**

40/47, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302018

मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र

( राजस्थान पत्रकार परिषद सदस्यों के आठवीं, दसवी व बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक लाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना )

आवेदन-पत्र

विद्यार्थी का नाम .....

पिता का नाम .....

माता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

उत्तीर्ण वर्ष ..... पूर्णांक .... प्राप्तांक ..... प्रतिशत ..... श्रेणी .....

विद्यार्थी का वर्तमान पता ..... दूरभाष.....

विद्यार्थी का स्थाई पता..... दूरभाष.....

पिता/माता का सदस्यता क्रमांक ..... सदस्यता वर्ष ..... कार्यरत स्थल.....

संस्थान का नाम ..... पद नाम ..... दूरभाष नम्बर (नि.) ..... (का.).....

**पिता/माता द्वारा घोषणा**

मैं.....घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री.....ने वर्ष ..... में कक्षा.....बोर्ड परीक्षा में.....प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और मैं मेरे पुत्र/पुत्री का नाम राजस्थान पत्रकार परिषद की मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति(एक वर्षीय)के लिए परिषद कार्यालय के समक्ष मय आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ। मेरे संबंध में परिषद द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य हैं तथा इनके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ कृपया आवेदन-पत्र का अवलोकन कर यथोचित अनुग्रह प्रदान करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

**छात्रवृत्ति समिति द्वारा अनुशंघा**

यह समिति विद्यार्थी.....पुत्र/पुत्री.....को छात्रवृत्ति के लिए तय मापदण्डों पर उचित मानते हुए वर्ष .....के लिए छात्रवृत्ति जारी करने की अनुशंघा प्रदान करती है।

हस्ताक्षर समिति अध्यक्ष

समिति सचिव

**कार्यालय उपयोग हेतु**

राजस्थान पत्रकार परिषद की ओर से सदस्यों के मेधावी बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति(एक वर्षीय)के लिए उक्त आवेदक विद्यार्थी.....पुत्र/पुत्री..... का चयन किया जाता है। विद्यार्थी को आगामी एक वर्ष(शिक्षा सत्र प्रारम्भ से समापन तक)के लिए प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में रूप..... (मनीऑर्डर, चैक या फिर नकद) भुगतान किया जाएगा।

हस्ताक्षर प्रदेश अध्यक्ष/सचिव

## संलग्न -

1. विद्यार्थी की अंक तालिका (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो कापी)
2. पिता/माता के पत्रकार परिषद सदस्यता पहचान-पत्र की फोटो प्रति
3. विद्यार्थी के जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति
4. विद्यार्थी का अगली कक्षा में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र(संस्था प्रधान द्वारा)
5. विद्यार्थी का स्थाई पता लिखा व आवश्यक डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा

## छात्रवृत्ति की शर्तें व नियम

1. यह छात्रवृत्ति राजस्थान पत्रकार परिषद सदस्यों के उन बच्चों को देय होगी जो विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं (आठवीं, दसवीं व बारहवीं)में अच्छे अंक लाएंगे।
2. यह छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए देय होगी (शिक्षा सत्र के प्रारम्भ से समापन तक)।
3. छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु विद्यार्थी के संबंधित बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक होने आवश्यक हैं।
4. दो या दो से अधिक आवेदक विद्यार्थियों संबंधित बोर्ड परीक्षा में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने की दशा में राजस्थान पत्रकार परिषद या फिर परिषद की ओर से गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो विद्यार्थी इस चयन प्रक्रिया में सफल रहेगा उसे ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
5. आवेदक विद्यार्थी के अगली कक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत होने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी।
6. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की विद्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। (आठवीं के लिए 13 वर्ष, दसवीं के लिए 16 वर्ष व बारहवीं के लिए 18 वर्ष अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। यथा आवश्यकता इस आयु सीमा में छूट का अधिकार राजस्थान पत्रकार परिषद के पास सुरक्षित है)
7. आवेदक को अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र राजस्थान पत्रकार परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही करना होगा।
8. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. राजस्थान पत्रकार परिषद द्वारा चाही गई सभी सूचनाएं व दस्तावेज नहीं होने की दशा में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
10. अपूर्ण आवेदन को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।
11. आवेदन राजस्थान पत्रकार परिषद के जयपुर स्थित कार्यालय के पते पर जमा करवाना होगा (डाक या स्वयं उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं)।
12. आवेदक विद्यार्थी के पिता/माता का आवश्यक रूप से राजस्थान पत्रकार परिषद के सदस्य होना व अपने पंजीयन का समयानुसार नवीनीकरण पूर्ण होना आवश्यक होगा, इसके अभाव में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
13. आवेदक विद्यार्थी के पिता/माता से संबंधित आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं को परिषद द्वारा सत्यापित करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी।
14. छात्रवृत्ति से संबंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा तथा छात्रवृत्ति के संबंध में निर्धारित सभी शर्तों व नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के अधिकार राजस्थान पत्रकार परिषद के पास सुरक्षित होंगे।
15. छात्रवृत्ति देने के मामले में अंतिम निर्णय राजस्थान पत्रकार परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी या फिर प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही किया जाएगा।

हस्ताक्षर प्रदेश अध्यक्ष/सचिव/समिति अध्यक्ष या सचिव